पत्रांक–2ब०/जला०–01–02/2018 145 /न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट/निबंधित डाक एवं ई–मेल

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

**जय प्रकाश मंडल,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**कार्यपालक पदाधिकारी,**
नगर पंचायत, बारसोई।

पटना, दिनांक– 19/3/18

**विषयः–** **वित्तीय वर्ष 2017–18 में "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय" योजनान्तर्गत नगर पंचायत, बारसोई में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति के प्रत्याशा में राज्यांश के रूप में आवंटित होने वाली राशि में से तत्काल अग्रिम राशि ₹100.00 लाख (एक सौ लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में आवंटन की स्वीकृति।**

**आदेशः–** स्वीकृत।

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" प्रारंभ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प के कंडिका– 04 अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की रणनीति निम्नवत है :–

(i) इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की सघन एवं निरंतर बसे घरों के लिए पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सतही जल/भूगर्भीय जल का उपयोग करके योजनाएँ बनायी जाएगी। लगभग 15–20 प्रतिशत क्षमता Overhead Tank के माध्यम से सृजित की जाएगी एवं शेष क्षमता के लिए Direct Pumping से आपूर्ति करने का प्रावधान किया जाएगा।

(ii) ऐसी बसावटें, जो शहरी क्षेत्रों के किनारे पर अलग से स्थित है, उनमें छोटी विकेन्द्रित योजनाऐं ली जाएगी, जिसमें बोरिंग कर समरसेबुल पम्प के माध्यम से Direct Pumping किया जाएगा।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मॉडल परियोजना तैयार करके, सक्षम तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी। नगर निकायों द्वारा उनके पास उपलब्ध निधि से वार्ड के अंदर या अंतरवार्ड महत्व की छोटी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

(iv) इस क्रम में शहरी स्थानीय निकायें, पूर्व से गाड़े गये टयूबवेल, जिनका जीर्णोद्धार करना हो या क्षमता विकसित करनी है, उसके लिए भी कार्य ले सकेंगे।

(v) छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय–समय पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(vi) योजना का क्रियान्वयन 'E-tendering' के माध्यम से ही किया जायेगा।

3. विभागीय संकल्प के कंडिका– 05 (i) के अनुसार नगर निकायों को "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के अंतर्गत निम्नांकित स्त्रोतों से निधि प्राप्त होगी :–

(i) 14वें वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों का पूर्णतया हिस्सा)

(ii) पंचम राज्य वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों को पूर्णतया हिस्सा)

(iii) हर घर नल जल निश्चय योजना अन्तर्गत उपर्युक्त क्रमांक– (i) और (ii) के योग के समतुल्य राशि, राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से स्थानीय नगर निकायों को दी जाएगी।

4. नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु संकल्प के प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा गुणवत्ता प्रभावित एवं गुणवत्ता अप्रभावित 250, 500, 1000 एवं 1500 घरों में नल का जल पहुँचाने हेतु कुल 08 मॉडल प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक– 05, दिनांक– 10.01.2017 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित है। राज्य के गुणवत्ता प्रभावित जिलों के नगर निकायों की सूची विभागीय पत्रांक– 1110, दिनांक– 16.02.2017 द्वारा सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराया जा चुका है। गुणवत्ता प्रभावित नगर निकायों में आयरन/आर्सेनिक/फ्लूराईड रिमुभल प्लांट के साथ मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। मॉडल प्राक्कलन की स्थिति निम्नवत है :–

| क्र० सं० | परिवारों की संख्या | गुणवत्ता अप्रभावित मॉडल प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि | राज्य के 09 गुणवत्ता प्रभावित जिले के मॉडल प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | 250 | 20,21,000.00 | 23,40,100.00 |
| 2. | 500 | 38,92,800.00 | 45,29,100.00 |
| 3. | 1000 | 89,57,800.00 | 1,01,79,800.00 |
| 4. | 1500 | 1,48,44,300.00 | 1,67,43,700.00 |

5. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत निर्बाध जलापूर्ति हेतु Overheard Water Tank का प्रावधान किया गया है, जिसका मॉडल प्राक्कलन विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करते हुए इसकी सूचना विभागीय पत्रांक– 753, दिनांक– 07.02.2018 द्वारा सभी नगर निकायों को दी जा चुकी है।

6. चूँकि नगर पंचायतों में सामान्यतः एक वार्ड में 500 परिवार तथा नगर परिषद् में 1000 परिवार होते हैं इसलिए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की अनुशंसा क्रमशः 500 एवं 1000 परिवारों को आधार मानकर की जा रही है। इसमें नगर पंचायतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे 500 परिवारों के लिए एक मॉडल प्राक्कलन का चयन करें या 250 परिवारों के लिए दो मॉडल प्राक्कलन का चयन करें। इसी प्रकार नगर परिषदों में 1000 परिवारों के लिए 500 के दो या 250 के चार या 500 के एक और 250 के दो मॉडल का चयन करें। मॉडल प्राक्कलन का चयन भूमि की उपलब्धता, वार्ड का आकार एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर किया जायेगा।

7. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई के पत्रांक– 47, दिनांक– 13.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत, बारसोई में घरों की संख्या– 5572 है एवं यह क्षेत्र गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है। नगर पंचायत, बारासोई नवगठित नगर पंचायत है, जिसमें हर घर नल का जल का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई द्वारा नगर पंचायत, बारसोई में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। चूँकि नगर पंचायत, बारसोई में निजी बोरिंग से नल का जल प्राप्त होने वाले घरों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः नगर पंचायत, बारसोई में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत हर घर नल जल उपलब्ध कराने हेतु योजना के प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तत्काल योजना की स्वीकृति की प्रत्याशा में राज्यांश मद से आवंटित होने वाले राशि में से तत्काल अग्रिम राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में विभागीय राज्यादेश सं०–144, दिनांक– 19/3/18 के आलोक में निम्नवत आवंटित की जाती है :–

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | नगर निकाय का नाम | योजना का नाम | राज्य योजना से तत्काल आवंटित राशि |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | नगर पंचायत, बारसोई | नगर पंचायत, बारसोई में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत हर घर नल जल योजना। | 100.00 |

**अर्थात कुल आवंटित राशि ₹100.00 लाख (एक सौ लाख रु०) मात्र।**

8. उक्त आवंटित राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत

विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 की कंडिका– 5 (ii) के अनुरूप खोले गये खाते में राशि रखी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

9. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

11. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

**12.** उक्त आवंटित राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –उप शीर्ष 0104– पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017960104 विषय शीर्ष 0104.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

13. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

**14. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक– 123, दिनांक– 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों को दिया जा

चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत निर्बाध जलापूर्ति हेतु Overhead Water Tank का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि एवं मॉडल प्राक्कलन से संबंधित सूचना विभागीय पत्रांक– 753, दिनांक– 07.02.2018 सभी नगर निकाय को दिया जा चुका है। उक्त योजना में आवश्यकता के अनुरूप Overhead Water Tank का प्रावधान किया जाएगा।

(iii) विभागीय पत्रांक– 6170, दिनांक– 13.09.2017 द्वारा निजी बोरिंग से नल जल प्राप्त करने वाले घरों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत नल जल संयोजन उपलब्ध नहीं कराने का निदेश निर्गत है।

(iv) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(vi) नगर निकाय द्वारा योजना के कार्यान्वयन में विभागीय पत्रांक– 9032, दिनांक– 06.12.2016 एवं विभागीय पत्रांक– 3256, दिनांक– 16.05.2017 के आलोक में क्रमशः जिला शहरी विकास अभिकरण एवं बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(vii) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा– पथरीला इलाका, जल स्त्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(viii) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(x) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

15. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

16. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

18. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

19. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, कटिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

19.3.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–02/2018 145 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 19/3/18

**प्रतिलिपिः–** महालेखाकार, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल/ जिला पदाधिकारी, कटिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

19.3.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

आनन्द.

पत्रांक–2ब० / जला०–01–02 / 2018 144 / न०वि०एवंआ०वि०

*स्पीड पोस्ट / निबंधित डाक एवं ई–मेल

# बिहार सरकार
# नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक

**जय प्रकाश मंडल,**
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

**महालेखाकार,**
बिहार, पटना।

*अनौपचारिक रूप से परामर्शित

*द्वारा–आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक– 19/3/18

विषयः– **वित्तीय वर्ष 2017–18 में "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय" योजनान्तर्गत नगर पंचायत, बारसोई में हर घर नल का जल उपलब्ध कराने हेतु योजना की स्वीकृति के प्रत्याशा में राज्यांश के रूप में आवंटित होने वाली राशि में से तत्काल अग्रिम राशि ₹100.00 लाख (एक सौ लाख रु०) मात्र सहायक अनुदान के रूप में राशि की स्वीकृति।**

**आदेशः– स्वीकृत।**

राज्य के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले सभी परिवारों को नल के माध्यम से शुद्ध पेय जल उपलब्ध कराने हेतु "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" प्रारंभ किया गया है। योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 निर्गत किया गया है।

2. विभागीय संकल्प के कंडिका– 04 अनुसार जलापूर्ति योजनाओं के कार्यान्वयन की रणनीति निम्नवत है :–

(i) इस योजना के अंतर्गत शहरी क्षेत्रों की सघन एवं निरंतर बसे घरों के लिए पेय जलापूर्ति सुनिश्चित करने के लिए आवश्यकता आधारित सतही जल / भूगर्भीय जल का उपयोग करके योजनाएँ बनायी जाएगी। लगभग 15–20 प्रतिशत क्षमता Overhead Tank के माध्यम से सृजित की जाएगी एवं शेष क्षमता के लिए Direct Pumping से आपूर्ति करने का प्रावधान किया जाएगा।

(ii) ऐसी बसावटें, जो शहरी क्षेत्रों के किनारे पर अलग से स्थित है, उनमें छोटी विकेन्द्रित योजनाऐं ली जाएगी, जिसमें बोरिंग कर समरसेबुल पम्प के माध्यम से Direct Pumping किया जाएगा।

(iii) शहरी स्थानीय निकायों की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के प्रयोजन से छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा मॉडल परियोजना तैयार करके, सक्षम तकनीकी स्वीकृति के उपरांत, नगर निकायों को उपलब्ध करायी जाएगी। नगर निकायों द्वारा उनके पास उपलब्ध निधि से वार्ड के अंदर या अंतरवार्ड महत्व की छोटी योजनाओं का कार्यान्वयन कराया जाएगा।

(iv) इस क्रम में शहरी स्थानीय निकायें, पूर्व से गाड़ें गये टयूबवेल, जिनका जीर्णोद्धार करना हो या क्षमता विकसित करनी है, उसके लिए भी कार्य ले सकेंगे।

(v) छोटी जलापूर्ति योजनाओं का कार्यान्वयन शहरी स्थानीय निकायों द्वारा किया जाएगा। शहरी स्थानीय निकायों द्वारा प्रस्तुत योजनाओं पर तकनीकी स्वीकृति बिहार राज्य जल पर्षद के मुख्य अभियंता के स्तर पर गठित समिति द्वारा की जायेगी। इस संबंध में समय–समय पर नगर विकास एवं आवास विभाग द्वारा दिशा निर्देश दिया जायेगा।

(vi) योजना का क्रियान्वयन 'E-tendering' के माध्यम से ही किया जायेगा।

3. विभागीय संकल्प के कंडिका– 05 (i) के अनुसार नगर निकायों को "मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना" के अंतर्गत निम्नांकित स्त्रोतों से निधि प्राप्त होगी :–

(i) 14वें वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों का पूर्णतया हिस्सा)

(ii) पंचम राज्य वित्त आयोग की 30 प्रतिशत राशि (स्थानीय नगर निकायों को पूर्णतया हिस्सा)

(iii) हर घर नल जल निश्चय योजना अन्तर्गत उपर्युक्त क्रमांक– (i) और (ii) के योग के समतुल्य राशि, राज्य सरकार द्वारा राज्य योजना से स्थानीय नगर निकायों को दी जाएगी।

4. नगर निकायों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के कार्यान्वयन हेतु संकल्प के प्रावधानों के अनुसार बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा गुणवत्ता प्रभावित एवं गुणवत्ता अप्रभावित 250, 500, 1000 एवं 1500 घरों में नल का जल पहुँचाने हेतु कुल 08 मॉडल प्राक्कलन तैयार कर पत्रांक– 05, दिनांक– 10.01.2017 द्वारा विभाग को उपलब्ध कराया गया है। उक्त प्राक्कलन अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित है। राज्य के गुणवत्ता प्रभावित जिलों के नगर निकायों की सूची विभागीय पत्रांक– 1110, दिनांक– 16.02.2017 द्वारा सभी नगर निकायों को उपलब्ध कराया जा चुका है। गुणवत्ता प्रभावित नगर निकायों में आयरन/आर्सेनिक/फ्लूराईड रिमुभल प्लांट के साथ मॉडल प्राक्कलन तैयार किया गया है। मॉडल प्राक्कलन की स्थिति निम्नवत है :–

| क्र० सं० | परिवारों की संख्या | गुणवत्ता अप्रभावित मॉडल प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि | राज्य के 09 गुणवत्ता प्रभावित जिले के मॉडल प्राक्कलन की प्राक्कलित राशि |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1. | 250 | 20,21,000.00 | 23,40,100.00 |
| 2. | 500 | 38,92,800.00 | 45,29,100.00 |
| 3. | 1000 | 89,57,800.00 | 1,01,79,800.00 |
| 4. | 1500 | 1,48,44,300.00 | 1,67,43,700.00 |

5. मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत निर्बाध जलापूर्ति हेतु Overheard Water Tank का प्रावधान किया गया है, जिसका मॉडल प्राक्कलन विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करते हुए इसकी सूचना विभागीय पत्रांक– 753, दिनांक– 07.02.2018 द्वारा सभी नगर निकायों को दी जा चुकी है।

6. चूँकि नगर पंचायतों में सामान्यतः एक वार्ड में 500 परिवार तथा नगर परिषद् में 1000 परिवार होते हैं इसलिए योजना की प्रशासनिक स्वीकृति की अनुशंसा क्रमशः 500 एवं 1000 परिवारों को आधार मानकर की जा रही है। इसमें नगर पंचायतों को यह स्वतंत्रता होगी कि वे 500 परिवारों के लिए एक मॉडल प्राक्कलन का चयन करें या 250 परिवारों के लिए दो मॉडल प्राक्कलन का चयन करें। इसी प्रकार नगर परिषदों में 1000 परिवारों के लिए 500 के दो या 250 के चार या 500 के एक और 250 के दो मॉडल का चयन करें। मॉडल प्राक्कलन का चयन भूमि की उपलब्धता, वार्ड का आकार एवं तकनीकी उपयुक्तता के आधार पर किया जायेगा।

7. कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई के पत्रांक– 47, दिनांक– 13.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि नगर पंचायत, बारसोई में घरों की संख्या– 5572 है एवं यह क्षेत्र गुणवत्ता प्रभावित क्षेत्र है। नगर पंचायत, बारासोई नवगठित नगर पंचायत है, जिसमें हर घर नल का जल का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है। उक्त के आलोक में कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई द्वारा नगर पंचायत, बारसोई में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना की स्वीकृति प्रदान करते हुए राशि आवंटित करने का अनुरोध किया गया है। चूँकि नगर पंचायत, बारसोई में निजी बोरिंग से नल का जल प्राप्त होने वाले घरों की संख्या का उल्लेख नहीं किया गया है। अतः नगर पंचायत, बारसोई में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत हर घर नल जल उपलब्ध कराने हेतु योजना के प्राक्कलन प्राप्त होने के पश्चात योजना की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की जाएगी। तत्काल योजना की स्वीकृति की प्रत्याशा में राज्यांश मद से आवंटित होने वाले राशि में से तत्काल अग्रिम राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र की स्वीकृति सहायक अनुदान के रूप में निम्नवत प्रदान की जाती है :–

(राशि लाख में)

| क्र० सं० | नगर निकाय का नाम | योजना का नाम | राज्य योजना से तत्काल स्वीकृत राशि |
|---|---|---|---|
| *1* | *2* | *3* | *4* |
| 1 | नगर पंचायत, बारसोई | नगर पंचायत, बारसोई में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत हर घर नल जल योजना। | 100.00 |

**अर्थात कुल स्वीकृत राशि ₹100.00 लाख (एक सौ लाख रु०) मात्र।**

***इसके लिए आवंटनादेश अलग से निर्गत किया जायेगा।***

8. उक्त स्वीकृत राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र सहायक अनुदान की राशि के **निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई होंगे**, जिनके द्वारा उक्त राशि की निकासी बिहार कोषागार संहिता 2011 के संगत प्रावधानों के आलोक में की जाएगी। राशि की निकासी वित्त विभाग के परिपत्र सं०–2561, दिनांक– 17.04.98 एवं पत्रांक– 428, दिनांक– 31.03.2017 में निहित अनुदेशों के आलोक में वित्तीय वर्ष 2017–18 में संबंधित कोषागार से की जायेगी। राशि की निकासी के उपरांत

विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 की कंडिका– 5 (ii) के अनुरूप खोले गये खाते में राशि रखी जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में **A.C. विपत्र पर नही की जाएगी।**

9. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार सहित के नियम– 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०– 42 में राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी के बाद T.V. नं० एवं तिथि सहित इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार को देते हुए इससे सरकार को भी निश्चित रूप से अवगत कराया जाएगा। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या– 1496/वि(2), दिनांक– 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर कोषागार में प्रस्तुत किया जाएगा।

10. वित्त विभाग के संकल्प सं०– 573, दिनांक– 16.01.1975 एवं एम 04–15/2009–9736, दिनांक– 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड़) के अनुसार "सहायता अनुदान की राशि का उपायोगिता प्रमाण–पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।"

11. राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त राशि का व्यय स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन पर ही किया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में उक्त राशि का विचलन कर किसी अन्य मदों में खर्च नहीं किया जायेगा।

**12.** उक्त स्वीकृत राशि ₹100.00 लाख (एक करोड़ रू०) मात्र की निकासी मांग संख्या–48 के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 2215–जल पूर्ति तथा सफाई– उप मुख्य शीर्ष –01– जल पूर्ति– लघु शीर्ष–796– जनजातीय क्षेत्र उप योजना –उप शीर्ष 0104– पेय जलापूर्ति के लिए नगर पंचायतों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड– 48-2215017960104 विषय शीर्ष 0104.31.05 सहायक अनुदान–परिसंपत्तियों के निर्माण के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के आय–व्ययक में उपबंधित राशि से की जाएगी।

13. क्रय संबंधी मामलों में विधिवत क्रय समिति का अनुमोदन प्राप्त कर क्रय किया जायेगा। राशि की निकासी के बाद टी०भी० नं० एवं तिथि के साथ सरकार को अवगत कराया जायेगा।

**14. योजना का कार्यान्वयन निम्नांकित शर्तो के अधीन किया जायेगा :–**

(i) योजना का कार्यान्वयन बिहार राज्य जल पर्षद द्वारा तैयार किये गये एवं अभियंता प्रमुख–सह–विशेष सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा अनुमोदित मॉडल प्राक्कलन के आधार पर किया जायेगा। योजना के कार्यान्वयन हेतु संशोधित मार्गदर्शिका भी निर्गत किया जा चुका है। उक्त प्राक्कलन एवं संशोधित मार्गदर्शिका विभागीय वेबसाईट पर उपलब्ध है, जिसकी सूचना विभागीय पत्रांक– 123, दिनांक– 11.01.2017 द्वारा सभी नगर निकायों एवं जिला शहरी विकास अभिकरणों को दिया जा

चुका है। नगर निकाय द्वारा योजना का कार्यान्वयन किया जायेगा। योजना के संधारण के लिए अलग से दिशा–निर्देश निर्गत किया जायेगा।

(ii) मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजनान्तर्गत निर्बाध जलापूर्ति हेतु Overhead Water Tank का प्रावधान किया गया है, जिसकी प्राक्कलित राशि एवं मॉडल प्राक्कलन से संबंधित सूचना विभागीय पत्रांक– 753, दिनांक– 07.02.2018 सभी नगर निकाय को दिया जा चुका है। उक्त योजना में आवश्यकता के अनुरूप Overhead Water Tank का प्रावधान किया जाएगा।

(iii) विभागीय पत्रांक– 6170, दिनांक– 13.09.2017 द्वारा निजी बोरिंग से नल जल प्राप्त करने वाले घरों में मुख्यमंत्री शहरी पेयजल निश्चय योजना के तहत नल जल संयोजन उपलब्ध नहीं कराने का निदेश निर्गत है।

(iv) नगर निकाय द्वारा प्रत्येक House Hold Connection देने के क्रम में मकान मालिक का नाम, पता, आधार नम्बर, मोबाईल नं० एवं तस्वीर अपने अभिलेख में रखने के अतिरिक्त उनसे एक प्रमाण पत्र भी लेना सुनिश्चित किया जायेगा कि उनके घर में नल का जल उपलब्ध हो गया है। नल जल कनेक्शन से संबंधित सारी जानकारी विभाग द्वारा विकसित MIS पर Upload किया जायेगा।

(v) **योजना का कार्यान्वयन ई–टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।**

(vi) नगर निकाय द्वारा योजना के कार्यान्वयन में विभागीय पत्रांक– 9032, दिनांक– 06.12.2016 एवं विभागीय पत्रांक– 3256, दिनांक– 16.05.2017 के आलोक में क्रमशः जिला शहरी विकास अभिकरण एवं बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहयोग प्राप्त किया जायेगा।

(vii) ऐसे नगर निकाय जहाँ जलापूर्ति हेतु विशिष्ट प्रकार की समस्या यथा– पथरीला इलाका, जल स्त्रोत में कठिनाई इत्यादि हो, वैसे नगर निकायों में बिहार राज्य जल पर्षद से तकनीकी सहायता प्राप्त कर योजनाओं का कार्यान्वयन किया जायेगा। आवश्यकतानुसार इसके लिए स्वीकृत राशि में अनुमान्य सीमा तक परिवर्तन भी किया जा सकता है।

(viii) राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र विहित प्रपत्र में महालेखाकार, बिहार, पटना को भेजते हुए उसकी प्रति सरकार को भी उपलब्ध करायी जायेगी। साथ ही योजना के कार्यान्वयन का वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को उपलब्ध कराया जायेगा।

(ix) उक्त राशि इस शर्त के साथ स्वीकृत की जा रही है कि जलापूर्ति योजना का डुप्लीकेशन किसी अन्य योजना के तहत कार्यान्वित की जा रही/की गई योजना से किसी भी परिस्थिति में न हो।

(x) उक्त योजना के कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर योजना का मद उसकी लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

15. वित्त विभाग के परिपत्र सं0–7355 वि(2) दिनांक–05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

16. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

17. विभागीय संकल्प संख्या–1287, दिनांक– 25.02.2016 के कंडिका– 06 के अनुरूप अनुश्रवण की व्यवस्था एवं कंडिका– 07 के अनुरूप गुणवत्ता नियंत्रण की व्यवस्था की जायेगी।

18. योजना का कार्यान्वयन विभागीय संकल्प संख्या– 1287, दिनांक– 25.02.2016 तथा समय–समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। आवंटित राशि का व्यय उसी कार्य के विरूद्ध किया जायेगा, जिसके निमित राशि स्वीकृत की गई है।

19. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब/जला०–01–02/2018 के पृष्ठ सं०–....5......../टि० पर दिनांक– 15.3.18...... को प्राप्त है एवं सक्षम प्रधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०–..5........../टि० पर दिनांक– 15.3.18........ को प्राप्त है।

20. इसकी सूचना प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, कटिहार/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

**बिहार राज्यपाल के आदेश से,**

(हस्ताक्षर) 19.3.18

**सरकार के विशेष सचिव।**

ज्ञापांक–2ब०/जला०–01–02/2018 144 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक– 19/3/18

**प्रतिलिपिः**– प्रधान सचिव, लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, पूर्णियाँ प्रमंडल/जिला पदाधिकारी, कटिहार/प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य जल पर्षद, पटना/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर पंचायत, बारसोई/कार्यपालक अभियंता, जिला शहरी विकास अभिकरण, कटिहार/कोषागार पदाधिकारी, संबंधित कोषागार/योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/वित्त विभाग, बिहार, पटना (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रधान आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/प्रशाखा पदाधिकारी–2, नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 19.3.18

**सरकार के विशेष सचिव।**